# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या : 31/2026 G.C.M.S. No. 2026/97 दर्ज दिनांक : 13.02.2026**

**अपीलार्थिगण:**

1. सालवाराम पुत्र भावाराम जाति कलबी, निवासी भलाणी, साउली की ढाणी पमाणा, तहसील सांचौर, जिला सांचौर

**बनाम**

**प्रत्यर्थिगण:**

1. मोतीराम पुत्र भावाराम जाति कलबी, निवासी भलाणी, साउली की ढाणी पमाणा, तहसील सांचौर, जिला सांचौर
2. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचौर राजस्व वाद संख्या 55/2021 बअनवान मोतीराम बनाम सालवाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2024**

**पैरोकार:–**

1. श्री घनश्याम सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री मुकेश सांखला, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

## निर्णय

**दिनांक: 29.05.2026**

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2021 बअनवान मोतीराम बनाम सालवाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2024 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मोतीराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि मौजा भलाणी साउओ की ढाणी पटवार हल्का पमाणा तहसील सांचौर में खेत खसरा संख्या 92, 93, 94, 98 स्थित है, जिसमें 1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा अलग अलग अमलदरामद करवाना चाहता है, इस हेतु वादी ने प्रतिवादी को आपसी सहमति से बंटवाड़ा किये जाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रतिवादी ने मना कर दिया। वादी ने अपने 1/2 हिस्से को दिन रात मेहनत कर उपजाउ बनाया, चूंकि वादी के बंट में अन्य खेत वादग्रस्त खेतो से करीब 5 किमी. दूरी पर है तथा वादी की रहवासी ढाणी भी 5 किमी दूर है इस स्थिति का लाभ उठाकर प्रतिवादी वादी के बंट के खेतो की माठे तोड़ता रहता है तथा वादी के बंट के खेतो की में घुसने की मंशा रखता है। इस कारण वादी अपने बंट के खेतो की अलग तरमीम करवाना चाहता है। प्रतिवादी वादी को 1/2 हिस्सा पूरा न देकर कम जमीन देना चाहता है, ऐसी सूरत में प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय संगत है। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया। प्रतिवादी को नोटिस से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तलब किया, परन्तु प्रतिवादी को तामिल नहीं होने के बावजूद भी उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है, जिससे प्रीज्यूडिस होकर उपरोक्त अपील पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, अपीलांट को नोटिस प्रेषित किये थे, जो नोटिस अपीलांट को कभी प्राप्त नहीं हुए थे, वादी द्वारा भेजी गई रजिस्ट्री की रसीद पेश की, जिस रसीद के आधार पर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट की तामिल पूर्ण मान ली गई, जबकि उक्त रसीद से भेजी डाक अपीलांट को प्राप्त नहीं हुई, ना ही रजिस्ट्री की ट्रेक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिससे साफ होता हो कि अपीलांट को नोटिस की तामिल पूर्ण हो चुकी हो। बिना तामिल हुए ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामिल मानकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री जारी किये है। अपीलांट को विधिवत तामिल करवाकर उपरोक्त पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाती तो अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखता, जिससे मौके की सच्चाई न्यायालय के सामने आती तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में न्यायालय को सुविधा होती, परन्तु विधिवत तामिल करवाये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.11.2024 को पत्रावली प्रस्तुत होती है एवं दिनांक 19.06.2024 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश किया जाता है एवं दिनांक 06.08.2024 को पी.डब्ल्यू. 01 व 02 के बयान करवाये जाते है, उसी रोज साक्ष्य बंद कर बहस अतिम में नियम की। उसके पश्चात प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जाती है, तब तक अपीलांट को किसी प्रकार की काई सूचना सम्मन नोटिस प्राप्त नहीं होन से उपरोक्त पत्रावली अपीलांट उपस्थित होने में असमर्थ रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक कायम किये बिना ही पत्रावली में पी.डब्ल्यू. 1 व 2 के बयान लेखबद्ध किये गये, विधि की मंशा अनुसार वाद में विवाद्यक कायम किये जाने आज्ञापक सिद्धान्त है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून को ताक में रखकर विवाद्यक कायम नहीं किये, इस कारण पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादी मोतीराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वास्ते विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गयी।

2. प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णयन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, साथ ही प्रकरण में दीर्घ विलम्ब निहित नहीं है तथा विलम्ब अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं है। लिहाजा विलंबकाल माफ किया जाना विधिसंगत होगा। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं

3. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.06.2024 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध केवल रजिस्टर्ड एडी डाक की रसीद के आधार पर तामिल पूर्ण मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। केवल रजिस्टर्ड डाक प्रेषण की रसीद मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि नोटिस की विधिवत तामिल पूर्ण हो चुकी है। अतः दिनांक 19.06.2024 की आदेशिका के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाई जाती है।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 06.08.2024 को वादी पक्ष के पी. डब्ल्यू. 01 एवं पी.डब्ल्यू. 02 के बयान लेखबद्ध किये गये तथा उसी दिन वादी पक्ष के साक्ष्य बन्द कर बहस अन्तिम सुनवाई हेतु नियत कर दी गई तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादी को साक्ष्य सुनवाई व प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है तथा ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नही है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2021 बअनवान मोतीराम बनाम सालवाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने व उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रेषित की जावे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.06.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर मे असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

डॉ. भास्कर बिश्नोई
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली